

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बीचबचाव के बाद बारात से 250 रुपये का अर्थदण्ड लेकर वर और वधु को जाने दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 14-12-1968 को पट्टी लस्याल के कोटी गांव की एक बारात समीप के गोटी गांव को गई और वधु के साथ सकुशल वापस आई। मार्ग में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

ये आरोप कि इस बारात को सवर्ण हिन्दुओं ने घेर लिया और इस पर पथराव किया तथा अर्थदण्ड वसूल करने पर ही जाने दिया गया सत्य नहीं पाए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में फर्नीचर

7643. श्री मोलहू प्रसाद : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा वर्ष 1968-69 के आरम्भ और अन्त में क्रमशः कितना फर्नीचर था,

(ख) क्या इन स्कूलों में टूटे हुए फर्नीचर को विभागीय वर्कशाप में मरम्मत कराने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं और अर्थ वर्कशापों में इनकी मरम्मत कराने पर प्रत्येक वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त बर्षान) : (क) . दिल्ली प्रशासन के अनुसार फर्नीचर की वस्तुएं, जैसा

कि विवरण में दी गई हैं प्रत्येक स्कूल की छात्र संख्या और आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग होती है। [विवरण पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या L-T-898/69.]

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रायः प्रत्येक स्कूल को एक सौ रुपयों की राशि स्थानीय बड़इयों से मरम्मत कराने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वीकृत की जाती है।

Correspondence Courses for Under-graduate Students

7644. DR. SUSHILA NAYAR :
SHRI MUHAMMAD SHERIFF :
SHRI K. LOKKAPPA :
SHRI A. SREEDHARAN :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to start correspondence courses to enable students to appear privately for under-graduate Courses ;

(b) if so, the names of the Universities where such Courses will be started ; and

(c) the details of the scheme ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V.K.R.V. RAO) : (a) to (c). The Universities of Delhi, Punjab and Rajasthan have already started correspondence courses. The details of the courses introduced in these Universities are given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—899/69].

There are at present no proposals to start such courses in other universities.

Need for Educational Planning

7645. SHRI D. C. SHARMA :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI RANJIT SINGH :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI BALRAJ MADHOK :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Deputy Chairman of the Planning Commission stressed the need for educational planning in a developing economy while delivering the valedictory address of the Ninth Training Course for Educational Planners and Administrators at the Asian Institute of Education, Educational Planning and Administration in New Delhi on the 29th January, 1969 ;

(b) whether this aspect has been examined ; and

(c) if so, with what results and the steps proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES DR. V. K. R. V. RAO : (a) The Deputy Chairman, Planning Commission, made the following observation on the significance of Planning :

"The constraint of resources is a stark continuing fact of the situation in all developing countries. And in a sense, planning acquires importance because of the constraint of resources. It is because of the constraint of resources that you have to give careful thought in relation to the directions in which you will use the resources and in relation to the extent to which in each direction you will use the resources."

Since the planning process covers all sectors of the country's development, including education, these remarks apply to educational planning as well.

(b) and (c). Government agrees with this view ; and that is why the technique of planned development has been adopted by Government since 1951-52.

लोकपाल की नियुक्ति

7646. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

श्री य० अ० प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये लोकपाल नियुक्त करने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव से किन-किन राज्यों ने सहमति व्यक्त की है ;

(ख) शेष राज्यों से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधान-मण्डल सम्मतिसूचक संकल्प पारित करें तो मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के लिए केन्द्रीय लोकपाल के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत संसद् द्वारा वैधानिक सक्षमता प्राप्त की जा सकती है और लोकपाल तथा लोक आयुक्तों के विधेयक में उपयुक्त उपबन्ध प्रविष्ट किये जा सकते हैं। अब तक किसी राज्य विधान मण्डल ने ऐसा संकल्प पारित नहीं किया है।

Simplification of Trial-Laws

7647. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Chief Justice of the Calcutta High Court has, in a recent press interview, stressed the need for simplification of laws which regulate the procedure for trial ; and

(b) if so, whether Government are contemplating to take necessary steps in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Government have seen some press reports regarding this.

(b) The Law Commission is currently engaged on the revision of Criminal Procedure Code, which regulates the procedure for trial of criminal offences.

Transfer of Municipal Corporation Schools to Delhi Administration

7648. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : SHRI MUHAMMAD SHERIFF : SHRI V. NARASIMHA RAO :